2. नागरिक उड्डयन विभाग की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई/परिचालन इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

मुख्य अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

निदेशक

(1) नागरिक उड्डयन विभाग की समस्त इकाइयों का सामान्य प्रशासन, वित्तीय प्रबन्धन/नियंत्रण एवं सुरक्षा।
(2) इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के साथ पठित इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 एवं ि सविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के निमित्त एकान्टेबुल मैनेजर के रूप में कार्य सम्पादन।
(3) विमान अनुरक्षण हेतु प्लानिंग एवं इन्वेन्ट्री मैनेजमेन्ट।
(4) अल्प सूचना पर उड़ानों का सुरक्षित सम्पादन सुनिश्चित कराना।
(5) प्रदेश में स्थित विभिन्न हवाई पट्टियों का रख-रखाव एवं नई हवाई पट्टियों का निर्माण कराना।
(6) सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न हवाई पट्टियों पर स्थापित उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों पर अपेक्षित नियंत्रण रखना।

उप निदेशक

(1) समस्त इकाईयों का सामान्य प्रशासन।
(2) निदेशक के स्टाफ आफिसर का कार्य।
(3) इन्वेन्ट्री मैनेजमेन्ट/क्रय अधिकारी
(4) नोडल अधिकारी विधिक का कार्य।

वित्त नियंत्रकः वित्तीय नियंत्रण।

मुख्य सुरक्षा अधिकारी :- सुरक्षा प्रबन्धन।

मुख्य अभियंताः मुख्य अभियंता के कार्य एवं दायित्वों के अतिरिक्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट 145 के अधीन बेस मेन्टीनेंस मैनेजर के रूप में कार्य करना।

क्वालिटी मैनेजरः- सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट-145 के अधीन क्वालिटी मैनेजर के रूप में कार्य करना।

वायुयान अनुरक्षण अभियंता: विमानों से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता: हेलीकाप्टर से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

वायुयान एवियानिक्स अभियंता: यानों के एवियानिक्स से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

प्रबन्धकः अल्प सूचना पर उड़ानों का सुरक्षित सम्पादन सुनिश्चित करना।

पायलट (फिक्स्ड विंग/रोटर विंग): उड़ानों का सम्पादन।

मुख्य चिकित्साधिकारी : चिकित्सकीय कार्य।